तारीख हुकम	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	संदीप [illegible] वाद पत्र मु० नं० 112/2020	
03-03-2021	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि वादीगण के पिता/पति का सही नाम विजयप्रकाश पुत्र रुघा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में सहवन से वादीगण के पिता/पति का नाम विजय पुत्र रुघा अंकित कर दिया। वादीगण ने वाद पत्र के समर्थन में बैंक पास बुक, मार्कशीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड की प्रतियां पेश किये। वाद पत्र के साथ वादीगण ने वादी संदीप का शपथ पत्र, व गवाहान का शपथ पत्र प्रस्तुत किये। बहस पर मनंन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम विजय पुत्र रुघा अंकित है। वादीगण का कथन कि वादीगण के पिता/पति का सही नाम विजयप्रकाश पुत्र रुघा की पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र, मुल निवास प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड से होती है। वादी संदीप के स्वयं, व गवाहान के लिखित एवं तस्दीक शुदा शपथ पत्र से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना उचित है। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना **आदेश** उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम गोवर्धनपुरा स्थित भूमि खाता संख्या 127 के वर्तमा[illegible] पुत्र रुघा के स्थान पर विजयप्रकाश पुत्र रुघा [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में अमल दर[illegible] आदेश दिया [illegible] शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व [illegible] में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुतीब हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:52:58 IST
Reason: SelfAttested